

मुकदमों का विवरण

कर्नाटक राज्य बनाम।

टी. नासिर @नासिर @थंडियांटाविदा नासिर @उमरहाजी @हाजी और हमारा।

(2023 का आपराधिक अपील सं. 3456) नवंबर 06, 2023

[विक्रम नाथ और राजेश बिंदल, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में दायर आवेदनों को खारिज कर दिया। 311 पीडब्लू-189 को वापस बुलाने और अभियोजन पक्ष को रिपोर्ट और यू/एस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए। 65 साक्ष्य अधिनियम, 1872 का बी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 311-साक्ष्य अधिनियम, 1872 -s.65B-एक सिलसिलेवार बम विस्फोट हुआ-कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया- विचारण न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साक्ष्य में अस्वीकार्य ठहराया-इसके बाद, अभियोजन पक्ष को पीडब्लू-189 को वापस बुलाने और प्रमाण पत्र यू/एस प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया। 65 साक्ष्य में अधिनियम का बी-निचली अदालत द्वारा खारिज किए गए आवेदन को विलंबित मानते हुए-उच्च विचारण न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: निचली अदालतों ने गलत आधार पर यह राय दी थी कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में छह साल की देरी हुई थी, जबकि कोई भी नहीं था-मामला तब भी लंबित था जब पीडब्लू-189 को फिर से बुलाने और प्रमाण पत्र यू/एस प्रस्तुत करने का आवेदन था। 65 अधिनियम के बी को यू/एस के तहत लाया गया था। 311 वास्तव में, सी. एफ. एस. एल. से दिनांकित आई. डी. 4 की इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सामग्री दंड प्रक्रिया संहिता आधार पर प्राप्त रिपोर्ट पहले से ही आई. डी. 1 पर विचारण न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता समक्ष रखी गई थी-यह दंड प्रक्रिया संहिता वल आई. डी. 3 दिनांकित आदेश दंड प्रक्रिया संहिता माध्यम से था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों दंड प्रक्रिया संहिता आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट को यू/एस. द्वारा जारी प्रमाण पत्र दंड प्रक्रिया संहिता अभाव में विचारण न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया गया था। 65 बी-यह पीडब्लू-189 के मुख्य परीक्षण के दौरान था कि सी. एफ. एस. एल. की रिपोर्ट दिनांकित थी

29.11.2010 प्रदर्शित किए जाने की मांग की गई थी-जब उपरोक्त गवाह से 27.04.2017 पर मुख्य रूप से पूछताछ की गई, तो रिपोर्ट यू/एस।65 बी को पेश किया गया था जिस पर बचाव पक्ष के वकील द्वारा आपत्ति जताई गई थी और 20.06.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से विचारण न्यायालय ने यू/एस द्वारा जारी प्रमाण पत्र लेने से इनकार कर दिया था। 65 अधिनियम का बी, अभिलेख पर-इसके बाद एक आवेदन यू/एस के तहत दायर किया गया था।311 पीडब्लू-189 को वापस बुलाने के लिए और यू/एस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 165 अभिलेख पर अधिनियम का बी-इसे विचारण विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-उपरोक्त तथ्यों से, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में छह साल की देरी हुई थी-एक प्रमाण पत्र यू/एस। 65 अधिनियम का बी, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई है, वह कोई सबूत नहीं है जो अब बनाया गया है-यह रिकॉर्ड पर एक रिपोर्ट साबित करने के लिए विधि की आवश्यकता को पूरा कर रहा है-अभियोजन पक्ष को यू/एस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देकर।65 इस स्तर पर अधिनियम के बी के परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति कोई अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह नहीं होगा-अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य का खंडन करने का पूरा अवसर मिलेगा।[पैरा 12,13,14 और 15]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

अनवर पी. वी. बनाम पी. के. बशीर, (2014) 10 एससीसी 473:[2014] 11 एससीआर 399;

अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुषाणराव गोरंट्याल, (2020) 7 एस. सी. सी. 1: [2020] 7 एससीआर 180; कर्नाटक राज्य बनाम एम. आर. हीरेमथ, 2019 (7) एससीसी

515:[2019] 8 एस. सी. आर. 713-पर निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2023 की आपराधिक अपील No.3456।

2019 के सी. आर. एल. पी. No.2585 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.01.2022 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

अमन पंवार, ए. ए. जी., शिवम सिंह बघेल, डी. एल. चिदानंद, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

बालाजी श्रीनिवासन, सुश्री सुकन्या जोशी, हैरिस बीरन, अजहर असीस, आनंद बी. मेनन, राधा श्याम जेना, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

राजेश बिंदल, जे।

1. अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी-राज्य के नेतृत्व में 2019 की आपराधिक याचिका संख्या 2585 में उच्च विचारण न्यायालय 2 द्वारा पारित आदेश 1 के माध्यम से, निचली अदालत 3 द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा गया था। उपरोक्त आदेश के माध्यम से अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में दंड प्रक्रिया संहिता 5 की धारा 311 के अंतर्गत एक आवेदन 4Fi, जिसमें एम. कृष्णा (पीडब्लू-189) को वापस बुलाने और अभियोजन पक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति देने की मांग की गई थी और अधिनियम 6 की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया गया था।

3. मुकदमे की उत्पत्ति यह है कि बेंगलोर में आई. डी. 1 पर हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में एक महिला की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। भारतीय दंड संहिता सी. 14 की धारा 120 बी, 121, 121 ए, 123, 153 ए, 302, 307, 326, 337, 435, 506 और 201 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 से 6, विनाश और संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1981 की धारा 3 और 4, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 10 और 13 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए कई प्राथमिकियां दर्ज की गईं। इस दौरान

1 दिनांकित 27.01.2022।

2 बेंगलुरु में कर्नाटक का उच्च न्यायालय।

3 XLVIII अतिरिक्त शहर सिविल और सत्र न्यायाधीश (सी. बी. आई. मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय) शहर सिविल न्यायालय, बेंगलोर।

4 एस. सी. संख्या 1480/2010 और 1481/2010। 5 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

7 आपराधिक मामला सं. 483/2008।

8 आपराधिक मामला सं. 297/2008।

9 आपराधिक मामला सं. 314/2008।

10 आपराधिक मामला सं. 117/2008।

11 आपराधिक मामला सं. 260/2008 और 261/2008। 12 आपराधिक मामला सं. 92/2008।

13 आपराधिक मामला सं. 217/2008।

14 भारतीय दंड संहिता, 1860।

जाँच के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि एक लैपटॉप, एक बाहरी हार्ड डिस्क, 3 पेन ड्राइव, 5 एफ. एल. ओ. पी., 13 सी. डी., 6 सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, एक मेमोरी कार्ड और 2 डिजिटल कैमरा आदि आरोपी नं.3 यानी, सरफराज नवाज @सेजू @Hakeem। मूल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दिनांक 09.06.2010 के अतिरिक्त आरोप पत्र के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने 07.04.2017 के आदेश के माध्यम से आदेश दिया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संदर्भ में 29.11.2010 की सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र के अभाव में साक्ष्य में अस्वीकार्य थी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के अनुसार, मूल उपकरण पहले से ही रिकॉर्ड में हैं (प्राथमिक साक्ष्य के रूप में), अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी, प्रचुर सावधानी के मामले में, अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था और जब एम. कृष्णा (पीडब्लू-189) की 27.04.2017 पर मुख्य रूप से जांच की गई थी, तो अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। अभियुक्त के वकील ने आपत्ति जताई। आई. डी. 2 दिनांकित आदेश के माध्यम से, विचारण न्यायालय ने राय दी कि आई. डी. 1 पर प्रस्तुत अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं था। इसके बाद न्यायालय में एक आवेदन दायर किया गया जिसमें अभियोजन पक्ष को एम. कृष्णा (पीडब्लू-189) को वापस बुलाने और अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र को साक्ष्य में पेश करने की अनुमति दी गई। आवेदन को विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया था और इसे विलंबित माना था। निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। यह उअंतर्गत ोक्त आदेश है जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

4. अपीलार्थी-राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अमन पंवार ने अपने संक्षिप्त तर्क में कहा कि हाथ में लिए गए मामले में, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, बेंगलोर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों में अभियुक्तों ने महारत हासिल की थी। निचली अदालतों को इस संदर्भ में आवेदन पर विचार करना चाहिए था। अभियोजन पक्ष द्वारा जिसे पेश करने की मांग की गई थी, वह कुछ ऐसा नहीं था, जिसे बाद में बनाया गया था। बल्कि यह अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत केवल एक प्रमाण पत्र था। सी. एफ. एस. एल. की रिपोर्ट के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रूप में प्राथमिक साक्ष्य पहले से ही रिकॉर्ड में था। यह केवल इसलिए है क्योंकि अभियुक्त ने उस रिपोर्ट को पेश करने पर आपत्ति जताई थी और कोई जोखिम नहीं लेने के लिए, अभियोजन पक्ष ने धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एम. कृष्णा (पीडब्लू-189) को फिर से बुलाने और साक्ष्य में अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र पेश करने के लिए एक आवेदन का नेतृत्व किया। न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के तुरंत बाद कोई देरी नहीं हुई

07.04.2017 पर सी. एफ. एस. एल. की 29.11.2010 की रिपोर्ट, 16.12.2017 पर एक आवेदन दिया गया था जिसमें अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। निचली अदालतों को इस तथ्य की सराहना करनी चाहिए थी कि अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र पेश करने के अभियोजन पक्ष के अवसर से इनकार करने से अपीलार्थी के साथ बहुत अन्याय होगा। इन तर्कों के समर्थन में कि अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र कार्यवाही के किसी भी चरण में प्रस्तुत/प्रस्तुत किया जा सकता है, इस पर भरोसा किया गया था

अनवर पी. वी. बनाम में इस न्यायालय के निर्णय। पी. के. बशीर, **(2014) 10 एस. सी. सी. 473** और अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुषाणराव गोरंट्याल, **(2020) 7 एस. सी. सी. 1.**

5. जवाब में, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री बालाजी श्रीनिवासन ने कहा कि निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि नहीं थी। अभियोजन पक्ष को आई. डी. 1 दंड प्रक्रिया संहिता 311 के अंतर्गत आवेदन देकर साक्ष्य में कमी को दूर करने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है। प्रमाण पत्र को छह साल की देरी के बाद पेश करने की मांग की गई थी। इसलिए, इसे रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई थी। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो अब उत्तरदाताओं के लिए बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा किया जाएगा। प्रतिवादियों को निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार से वंचित किया जाएगा। याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

6. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और प्रासंगिक संदर्भित रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

7. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में मामले के तथ्यों पर संक्षिप्त रूप से ध्यान दिया गया है। बेंगलूर में 25.07.2008 पर सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए, जिसने न केवल बेंगलूर शहर या राज्य बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि इस तरह के आतंकवादी हमलों में केवल निर्दोष लोग ही पर्याप्त होते हैं। जाँच वैज्ञानिक सी होनी चाहिए। मामले में आरोपी नं. 3, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे एक लैपटॉप, एक बाहरी हार्ड डिस्क, 3 पेन ड्राइव, 5 एफ. एल. ओ. पी., 13 सी. डी., 6 सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, एक मेमोरी कार्ड और 2 डिजिटल कैमरा आदि बरामद किए गए और जब्त किए गए। इन्हें जाँच के लिए सी. एफ. एस. एल., हैदराबाद भेजा गया था। रिपोर्ट 29.11.2010 पर प्राप्त हुई थी। इसे 16.10.2012 पर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और बयान दर्ज करने के समय साबित करने की मांग की गई थी, एम. कृष्णा, सहायक सरकारी परीक्षक, कंप्यूटर फोरेंसिक डिवीजन, सीएफएसएल, पीडब्लू-189 के रूप में पेश हुए। अभियुक्त ने 06.03.2017 दिनांकित आवेदन के माध्यम से अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र के अभाव में सबूत के रूप में 29.11.2010 दिनांकित रिपोर्ट लेने पर आपत्ति जताई।

कर्नाटक राज्य बनाम टी. नासिर @नासिर @थंडियांतीवाड़ा नासिर @उमरहाजी @हाजी [राजेश बिंदल, जे.] 236

इसके तुरंत बाद अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 65-बी के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र जारी किया गया और एम. कृष्णा (पीडब्लू-189) को वापस बुलाने और साक्ष्य में उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया। मुकदमा अभी भी लंबित था। लॉर्ड विचारण न्यायालय ने इस संबंध में कानूनी स्थिति की सराहना किए बिना आवेदन को खारिज कर दिया था। इस आदेश को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। यह मुख्य रूप से अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में देरी के कारण था।

8. अनवर के मामले (ऊपर) में इस न्यायालय ने राय दी है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है तो अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके प्रासंगिक अनुच्छेद को नीचे उद्धृत किया गया है: “24. यदि अपीलार्थी घोषणा और गीतों के लिए उपयोग की जाने वाली सीडी को साक्ष्य में उपलब्ध कराकर प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करता तो स्थिति अलग होती। यदि आपत्तिजनक गीतों या घोषणाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सीडी को पुलिस या चुनाव आयोग के माध्यम से विधिवत जप्त कर लिया जाता और उसी का उपयोग प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता, तो उच्च न्यायालय यह देखने के लिए अदालत में ऐसा ही कर सकता था कि क्या आरोप सही थे। इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। भाषणों, गीतों और घोषणाओं को अन्य उपकरणों का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जाता था और उन्हें एक कंप्यूटर में फीड करके, सीडी बनाई जाती थी, जिन्हें बिना किसी प्रमाण के न्यायालय में पेश किया जाता था। धारा 65-बी की अनिवार्य आवश्यकताओं के कारण उन सीडी को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

साक्ष्य अधिनियम संतुष्ट नहीं हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा **59, 65-ए** और **65-बी** के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के द्वितीयक साक्ष्य पर हमने पूर्ववर्ती पैराग्राफ में जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद, यदि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उपयोग साक्ष्य अधिनियम की धारा **62** के अंतर्गत प्राथमिक साक्ष्य के रूप में किया जाता है, तो यह साक्ष्य अधिनियम की धारा **65-बी** की शर्तों का पालन किए बिना साक्ष्य में स्वीकार्य है।

(जोर दिया गया)

9. उपरोक्त मुद्दे पर बाद में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था

अर्जुन पंडितराव खोटकर के मामले में (ऊपर)। यह माना जाता है कि एक

कंप्यूटर में निहित मूल जानकारी और उससे बनाई गई प्रतियों के बीच अंतर। पहला प्राथमिक साक्ष्य है और दूसरा द्वितीयक साक्ष्य है। अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र है -

[2023] 14 एस सी आर।

जब मूल दस्तावेज (अर्थात् प्राथमिक साक्ष्य) स्वयं प्रस्तुत किया जाता है तो यह अनावश्यक होता है। इसके प्रासंगिक अनुच्छेद '33' को नीचे निकाला गया है:

“33. उप-धारा (1) में अबाधित खंड यह स्पष्ट करता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में निहित जानकारी की बात आती है, तो उसकी स्वीकार्यता और प्रमाण धारा 65-बी के अभ्यास का पालन करना चाहिए, जो इस संबंध में एक विशेष प्रावधान है-धारा 62 से 65

इस उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक होना। हालांकि, धारा **65-बी (1)** स्पष्ट रूप से "मूल" दस्तावेज के बीच अंतर करती है-जो "कंप्यूटर" में निहित मूल "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" होगा जिसमें मूल जानकारी पहले संग्रहीत की जाती है-और ऐसी जानकारी वाले कंप्यूटर आउटपुट, जिसे तब "मूल" दस्तावेज की सामग्री के प्रमाण के रूप में माना जा सकता है। यह सब आवश्यक रूप से दर्शाता है कि धारा **65-बी** "कंप्यूटर" में निहित मूल जानकारी और उससे बनाई गई प्रतियों के बीच अंतर करती है-पहला प्राथमिक साक्ष्य है, और दूसरा द्वितीयक साक्ष्य है। "

(जोर दिया गया)

10. कर्नाटक राज्य बनाम एम. आर. हीरेमथ, 2019 (7) एस. सी. सी. 515 में, यह न्यायालय ने अनवर के मामले (उपरोक्त) में पहले के निर्णय का उल्लेख करने के बाद कहा कि अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र पेश न करना एक उपचार योग्य दोष है। इसके प्रासंगिक अनुच्छेद '16' को नीचे निकाला गया है:

“16. इसी विचार को दो-न्यायाधीशों की पीठ ने दोहराया है।

भारत संघ बनाम रवींद्र वी. देसाई, (2018) 16 एस. सी. सी. 273 में न्यायालय ।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पहले के अवसर पर धारा **65-बी** के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना एक उपचार योग्य दोष है। न्यायालय ने

सोनू बनाम हरियाणा राज्य, (2017) 8 एस. सी. सी. 570 में पहले के निर्णय पर भरोसा किया गया जिसमें यह आयोजित किया गया था:

‘32. ... महत्वपूर्ण परीक्षा, जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, यह है कि क्या

दस्तावेज को चिह्नित करने के चरण में दोष को ठीक किया जा सकता था। वर्तमान मामले में इस परीक्षण को लागू करते हुए, यदि सीडीआर को बिना प्रमाण पत्र के चिह्नित किए जाने पर आपत्ति जताई जाती, तो न्यायालय अभियोजन पक्ष को अवज्ञा को सुधारने का अवसर दे सकती थी।’

(जोर दिया गया)

237

कर्नाटक राज्य बनाम टी. नासिर @नासिर @थंडियांतीवाड़ा नासिर @उमरहाजी @हाजी [राजेश बिंदल, जे.] 238

11. अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के चरण के मुद्दे पर आते हुए, अर्जुन पंडितराव खोटकर के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने कहा कि यदि मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है तो अधिनियम के 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:

“56. इसलिए, सामान्य प्रक्रिया के संदर्भ में, अभियोजन पक्ष उन सभी दस्तावेजों की आपूर्ति करने के लिए बाध्य है जिन पर मुकदमा शुरू होने से पहले किसी आरोपी को भरोसा दिया जा सकता है। इस प्रकार, आपराधिक मुकदमों में अदालतों द्वारा बाद के चरण में साक्ष्य देने की अनुमति देने में शक्ति का प्रयोग अभियुक्त के प्रति गंभीर या अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह का कारण नहीं बनना चाहिए। पक्षकारों के अधिकारों के संबंध में एक संतुलन अभ्यास न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी आवेदन की जांच करने में धारा 91 या 311 दंड प्रक्रिया संहिता या धारा 165 के अंतर्गत

साक्ष्य अधिनियम। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर, और न्यायालय यह देखने के बाद विवेक का प्रयोग करती है कि आरोपी निष्पक्ष मुकदमे के अभाव में पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, न्यायालय उचित मामलों में अभियोजन पक्ष को बाद में इस तरह के प्रमाण पत्र पेश करने की अनुमति दे सकती है। यदि यह अभियुक्त है जो अपने बचाव के हिस्से के रूप में आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो यह फिर से मामले के न्याय पर निर्भर करेगा - न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार विवेक का प्रयोग किया जाना।

59. उपरोक्त पैरा 52 और 56 में निर्धारित चेतावनी के अधीन, इन दोनों उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित विधि में हमारी सहमति है। जब तक

मुकदमे में सुनवाई अभी समाप्त नहीं हुई है, अपेक्षित प्रमाण पत्र को किसी भी स्तर पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा पेश करने का निर्देश दिया जा सकता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर्म में निहित जानकारी को तब स्वीकार किया जा सके और साक्ष्य में उस पर भरोसा किया जा सके। ”

(जोर दिया गया)

12. निचली अदालतों ने गलत आधार पर यह राय दी थी कि प्रमाण पत्र पेश करने में छह साल की देरी हुई थी, जबकि कोई देरी नहीं हुई थी। मामला तब भी लंबित था जब एम. कृष्णा (पीडब्लू-189) को फिर से बुलाने और अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता धारा 311 के अंतर्गत किया गया था।

13. यह केवल 07.04.2017 दिनांकित आदेश के माध्यम से था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया गया था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

विचारण न्यायालय। मूल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पहले से ही साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था और एमओ के रूप में चिह्नित किया गया था। एम. कृष्णा (पीडब्लू-189) के प्रमुख की जाँच के दौरान ही सी. एफ. एस. एल. की दिनांकित 29.11.2010 की रिपोर्ट को प्रदर्शित करने की मांग की गई थी। हालांकि, निचली अदालत ने अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र के अभाव में इसे रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया। जब उपरोक्त गवाह से 27.04.2017 पर मुख्य रूप से पूछताछ की गई, तो धारा 65B के अंतर्गत रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर बचाव पक्ष के वकील द्वारा आपत्ति जताई गई और 20.06.2017 के आदेश के माध्यम से विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 65B के अंतर्गत जारी प्रमाण पत्र को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद एम. कृष्णा (पीडब्लू-189) को वापस बुलाने और अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता धारा 311 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया गया। इसे विचारण न्यायालय ने 18.01.2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।

14. उपरोक्त तथ्यों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में छह साल की देरी हुई थी। वास्तव में, दिनांकित 29.11.2010 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सामग्री के आधार पर सी. एफ. एस. एल., हैदराबाद से प्राप्त रिपोर्ट पहले से ही 16.10.2012 पर विचारण न्यायालय के समक्ष रखी गई थी। वास्तव में, अभियोजन पक्ष का रुख यह था कि जब मूल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन पहले से ही किया जा चुका था और उन्हें एम. ओ. के रूप में चिह्नित किया गया था, तो अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी, पर्याप्त सावधानी के मामले में, उसी को प्रस्तुत किया गया था, वह भी जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आधार पर तैयार की गई सी. एफ. एस. एल. रिपोर्ट को पेश करने के खिलाफ आरोपी द्वारा आपत्ति उठाए जाने के तुरंत बाद।

15. आपराधिक मामले में निष्पक्ष सुनवाई का मतलब यह नहीं है कि यह किसी एक पक्ष के लिए निष्पक्ष होनी चाहिए। बल्कि, उद्देश्य यह है कि कोई भी दोषी मुक्त नहीं होना चाहिए और किसी भी निर्दोष को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 65-बी के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पेश करने की मांग की जाती है, वह सबूत नहीं है जो अब बनाया गया है। यह रिकॉर्ड पर एक रिपोर्ट को साबित करने के लिए विधि की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। अभियोजन पक्ष को इस स्तर पर अधिनियम की धारा 65 बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र पेश करने की अनुमति देने से अभियुक्त के प्रति कोई अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह नहीं होगा। अभियुक्त के पास अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य का

खंडन करने का पूरा अवसर होगा।यही वह उद्देश्य है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता धारा 311 है।संहिता का उद्देश्य सच्चाई तक पहुँचना है।हालाँकि, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 311 के अंतर्गत शक्ति का उपयोग 239 को कम करने के लिए किया जा सकता है।

कर्नाटक राज्य बनाम टी. नासिर @नासिर @थंडियांतीवाड़ा नासिर @उमरहाज़ी @हाजी [राजेश बिंदल, जे.]

न्याय और लोक हित का कारण।हाथ में मामले में, सच्चाई को बनाए रखने के लिए शक्ति के इस प्रयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि आरोपी के प्रति इस तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं होने वाला है।

16. उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुज्ञात जाती है।निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार कर दिया गया है।नतीजतन, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 311 के अंतर्गत अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में आवेदन की अनुज्ञात है।विचारण न्यायालय मामले को आगे बढ़ाएगी।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील अनुज्ञात ।

अंकित ज्ञान